न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

कमला देवी बनाम तहसीलदार, धोद

किस्म मुकदमा [illegible] धा. 126 [illegible] मु.नं. 426 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
29/9/25	प्रार्थीया कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम कंवरपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती के अनुसार ग्राम भुंवाला पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 25 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कमलाकंवर पत्नी श्रवणसिंह जो कि गलत है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह है। प्रार्थीया के दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थीया का सही नाम कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह दर्ज है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कमलाकंवर पत्नी श्रवणसिंह के स्थान पर कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थीया के नाम की प्रविष्टि के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1784 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थीया के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थीया का आवेदन तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम भुंवाला पटवार हल्का भुवाला तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. 25 (नया) के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम कमलाकंवर पत्नी श्रवणसिंह के स्थान पर कमला देवी पत्नी श्रवण सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होंगें। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1784 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात निर्णय का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.08 16:18:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner